सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 50/ 2019 दायर तारीख :– 21-06-2019

1. नाथूराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ढाणी राडावास वाली तन भोजेरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0) —— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.08.2018

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम मैड के हाल खसरा नम्बर 4592/1.56, 4595/0.45, 4596/0.20, 4597/0.25, 4598/0.24, 4599/0.22, 4600/0.45, 4601/0.33, 4602/0.01, 4603/0.53, 4604/0.46, 4605/0.58, 4606/0.48, 4607/0.07, 4608/0.21, 4609/0.42, 4610/1.68, 4611/0.03, 4612/0.19, 4613/0.01, 4614/1.50, 4631/1.35, 4631/5889/0.40 हैक्टेयर कुल किता 23 रकबा 11.62 हैक्टयर हिस्सा 1/12 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के गांव में बोलता नाम एवं सरल जुबानी ग्रामीण भाषा के अनुसार ही नाथ्या पुत्र रामनाथ दर्ज कर दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से नाथ्या पुत्र रामनाथ दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम नाथूराम पुत्र रामनाथ है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि ग्राम मैड के आराजी खसरा नम्बर 4592/1.56, 4595/0.45, 4596/0.20, 4597/0.25, 4598/0.24, 4599/0.22, 4600/0.45, 4601/0.33, 4602/0.01, 4603/0.53, 4604/0.46,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4605/0.58, 4606/0.48, 4607/0.07, 4608/0.21, 4609/0.42, 4610/1.68, 4611/0.03, 4612/0.19, 4613/0.01, 4614/1.50, 4631/1.35, 4631/5889/0.40 हैक्टेयर कुल किता 23 रकबा 11.62 हैक्टयर हिस्सा 1/12 की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथ्या पुत्र रामनाथ के बजाय नाथूराम पुत्र रामनाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 616 संवत् 2074–2077, प्रार्थना पत्र फोटो प्रति तहसीलदार विराटनगर, फोटोप्रति निर्वाचक नामावली 2018, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 580776731152, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड प्रति, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007921600030, ग्राम पंचायत जोधूला लैटर हैड प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम मैड के आराजी खसरा नम्बर 4592/1.56, 4595/0.45, 4596/0.20, 4597/0.25, 4598/0.24, 4599/0.22, 4600/0.45, 4601/0.33, 4602/0.01, 4603/0.53, 4604/0.46, 4605/0.58, 4606/0.48, 4607/0.07, 4608/0.21, 4609/0.42, 4610/1.68, 4611/0.03, 4612/0.19, 4613/0.01, 4614/1.50, 4631/1.35, 4631/5889/0.40 हैक्टेयर कुल किता 23 रकबा 11.62 के हिस्सा 1/12 की खातेदारी में प्रार्थी नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के गांव में बोलता नाम एवं सरल जुबानी ग्रामीण भाषा के अनुसार नाथ्या पुत्र रामनाथ दर्ज कर दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन नाथ्या पुत्र रामनाथ दर्ज है, जो गलत दर्ज है। यह भी कि प्रार्थी नाथ्या पुत्र रामनाथ के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 616 संवत् 2074–2077, प्रार्थना पत्र फोटो प्रति तहसीलदार विराटनगर, फोटोप्रति निर्वाचक नामावली 2018, फोटोप्रति भारत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार आधार कार्ड 580776731152, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड प्रति, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007921600030 आदि में वास्तविक नाम नाथूराम पिता रामनाथ है। अतः प्रार्थी नाथ्या पुत्र रामनाथ का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम मैड के आराजी खसरा नम्बर 4592/1.56, 4595/0.45, 4596/0.20, 4597/0.25, 4598/0.24, 4599/0.22, 4600/0.45, 4601/0.33, 4602/0.01, 4603/0.53, 4604/0.46, 4605/0.58, 4606/0.48, 4607/0.07, 4608/0.21, 4609/0.42, 4610/1.68, 4611/0.03, 4612/0.19, 4613/0.01, 4614/1.50, 4631/1.35, 4631/5889/0.40 हैक्टेयर कुल किता 23 रकबा 11.62 के हिस्सा 1/12 की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाथ्या पुत्र रामनाथ बजाय नाथूराम पुत्र रामनाथ दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 29.08.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:46:25 IST
Reason: SelfAttested